



2026:AHC-LKO:2784

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 6338 सन् 2025

सुरेश लोधी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह, लखनऊ के माध्यम से

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आदित्य कुमार, आदित्य प्रकाश, अनिता, अंशुल वर्मा, सूर्य प्रकाश

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य प्रकाश, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मयंक सिन्हा, को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- यह मुकदमा अपराध संख्या 336 वर्ष 2024, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना मौरावां, जनपद उन्नाव में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की माँग करते हुए दूसरा आवेदन है।
- प्रथम जमानत आवेदन संख्या 11960/2024 के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करने के उपरांत, आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि अभियोजन साक्ष्य चल रहा है और आवेदक विचारण के परिणाम की प्रतीक्षा करेगा तथा जमानत आवेदन पर बल नहीं देगा, इसलिए प्रथम जमानत आवेदन दिनांक 16.05.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह द्वितीय जमानत आवेदन विचारण के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना ही दिनांक 07.07.2025 को दाखिल किया गया है।
- उपरोक्त मामला दिनांक 12.07.2024 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सूचनादाता की भतीजी का आवेदक से लगभग 20 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उसे सूचना मिली कि आवेदक ने अपनी पत्नी को गला दबाकर हत्या कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दी है। आवेदक के घर पहुँचने पर सूचनादाता ने अपनी भतीजी का शव फर्श पर पड़ा पाया और आवेदक अपने घर से भाग गया था।

5. पंचनामे में गले पर फांसी का निशान उल्लिखित है। कान और नाक से खून निकला था। पंचनामे की कार्यवाही पाँच व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई जिनमें आवेदक सम्मिलित नहीं था। साक्षियों ने राय व्यक्त की कि मृतका की साड़ी से गला घोटकर हत्या की गई है।

6. शव-परीक्षा रिपोर्ट में गले के सामने की ओर एक क्षैतिज फांसी का निशान उल्लिखित है जो गले के चारों ओर पीछे की ओर जाता है। सिर के दाहिने पश्च-पार्श्विक भाग पर एक चोट की सूजन तथा सीने के दाहिने हिस्से पर एक चोट थी। मृत्यु का कारण जीवन रहते गला घोटने के कारण मृत्यु बताया गया है और सभी चोटें जीवन रहते की थीं।

7. जाँच अधिकारी ने वादी, मृतका की बहन और मृतका की पुत्री के बयान दर्ज किए। मृतका की पुत्री, जो लगभग 14 वर्ष की थी, ने कहा कि उसके पिता (आवेदक) ने उसकी माँ को पीटा था और फिर उसकी हत्या कर घर छोड़ दिया था। यह बयान वीडियो में रिकार्ड किया गया था।

8. वादी की परीक्षा पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में हुई और उसने कहा कि मृतका को पेट दर्द होता था और उसके पति के परिवार वालों ने बताया था कि उसने कहा था कि वह आत्महत्या करेगी। इस साक्षी को शत्रुपक्षी घोषित किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में, पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा कि घटना के बाद उसे ग्रामीणों से पता चला कि उसकी भतीजी ने आत्महत्या की है। उसने मृतका की दोनों पुत्रियों से पूछताछ की जिन्होंने बताया कि उनकी माँ को पेट दर्द था इसलिए उन्होंने लटककर आत्महत्या की।

9. मृतका की एक पुत्री की परीक्षा पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में हुई और उसने कहा कि घटना की रात दो व्यक्ति उसके घर में घुसे थे। वह उन व्यक्तियों को पहचान नहीं सकी। उसके पिता उपस्थित नहीं थे। उसके छोटे भाई ने लगभग रात 02:00 बजे उसकी माँ के कमरे में जाकर माँ को मृत पाया। भाई ने उसे जगाया और फिर वह भी माँ के कमरे में गई और माँ को फर्श पर मृत पड़ा पाया। इसके बाद उसने अपनी दादी को इसकी जानकारी दी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई। जब दोनों व्यक्ति आए तो वह सो रही थी। उन व्यक्तियों और उसकी माँ के बीच झगड़ा हुआ जिसपर वह उठी और माँ के कमरे में गई। उन दोनों व्यक्तियों ने अपना मुँह कपड़े से ढका हुआ था और वे उसकी माँ का गला घोट रहे थे। एक के पास चाकू था और दोनों ने उसे धमकाया था। इस चरण पर इस साक्षी को शत्रुपक्षी घोषित किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में, पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा कि उसके पिता जेल में बंद हैं और वह, उसके भाई और बहन चाहते हैं कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए और सब मिलकर रहें। जब भी वह जेल में अपने पिता से मिलती है, उसके पिता उसे कैद से मुक्त कराने के लिए कहते हैं। उसने यह भी कहा कि दो चोर घर में घुसे, माँ का गला घोंटा और उनके गहने छीन लिए।

11. इस चरण पर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान पंचनामे की ओर दिलाया जिसमें उल्लेख है कि मृत शरीर की नाक में पीले धातु की नकसैली थी, दोनों हाथों में पीले रंग की दो-दो चूड़ियाँ थीं और उसकी उँगली पर पीले धातु की एक अंगूठी भी थी। अतः यह कथन कि चोरों ने उसके गहने छीन लिए, अभिलेख पर स्पष्ट रूप से असत्य है। यद्यपि मुख्य परीक्षण में पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा था कि दो व्यक्तियों ने जिन्होंने उसकी माँ को मारा था, उनका मुँह कपड़े से ढका हुआ था, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि दोनों चोरों का मुँह ढका नहीं था लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सकी।

12. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि चूँकि वादी और मृतका की पुत्री सहित दोनों अभियोजन साक्षी शत्रुपक्षी हो गए हैं, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार है।

13. राज्य बनाम संजीव नंदा: (2012) 8 एस.सी.सी. 450 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"99. साक्षी का शत्रुपक्षी होना भारत में आपराधिक न्यायालयों के समक्ष एक प्रमुख परेशान करने वाला कारक है। साक्षियों के शत्रुपक्षी होने के कई कारण हैं, किन्तु हाल ही में, हम विशेषकर हाई-प्रोफाइल मामलों में यह देखते हैं कि साक्षियों के शत्रुपक्षी होने में एक नियमितता है, या तो मौद्रिक विचारणों के कारण या अन्य आकर्षक प्रस्तावों के कारण जो संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं और लोगों में यह धारणा बनती है कि शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा कानून की पकड़ से बच सकते हैं, जिससे प्रणाली में लोगों का विश्वास कम होता है।

100. इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश प्रसाद मिश्र [(1996) 10 एस.सी.सी. 360] में यह अभिनिर्धारित किया है कि यह उतना ही स्थापित विधि है कि शत्रुपक्षी साक्षी की साक्ष्य को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि वह अभियोजन या अभियुक्त के पक्ष में बोली हो, किन्तु इसे निकटतम जाँच के अधीन किया जा सकता है और साक्ष्य का वह भाग जो अभियोजन या बचाव के मामले के अनुरूप हो, स्वीकार किया जा सकता है। के. अनबाझगन बनाम पुलिस अधीक्षक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[[2004) 3 एस.सी.सी. 767] में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि न्यायालय यह पाता है कि इस प्रक्रिया में साक्षी का विश्वास पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है, तो वह उचित सावधानी के साथ, अभिलेख पर साक्ष्य के प्रकाश में, साक्षी की समय साक्ष्य को पढ़ने और विचार करने के बाद, उसकी साक्ष्य के उस भाग को स्वीकार और उस पर कार्य कर सकता है जो उसे विश्वसनीय लगे। तत्काल प्रकरण में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने यही किया और उन्होंने अभियुक्त को दोषी पाया।

101. हम उस परेशान करने वाले तथ्य से आँखें बंद नहीं कर सकते जो तत्काल प्रकरण में है जहाँ घटनास्थल पर उपस्थित आहत साक्षी भी शत्रुपक्षी हो गया। इस न्यायालय ने मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [(2010) 6 एस.सी.सी. 1] और जहिरा हबीबुल्ला शेख (5) बनाम गुजरात राज्य [(2006) 3 एस.सी.सी. 374] में पुलिस द्वारा बयानों को सही ढंग से दर्ज न करने और अभियोजन साक्षी द्वारा डराने-धमकाने, प्रलोभन और हेरफेर के अन्य तरीकों के कारण बयानों को वापस लेने जैसी प्रणाली में स्पष्ट खामियों को उजागर किया था। न्यायालय, तथापि, वास्तविकता से आँखें नहीं मूँद सकते। यदि कोई साक्षी न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने के लिए शत्रुपक्षी हो जाता है, तो न्यायालय मूकदर्शक बना नहीं रहेगा और सत्य को सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। आपराधिक न्याय प्रणाली को उन भोले साक्षियों द्वारा पलटा नहीं जा सकता जो दबाव, प्रलोभन या धमकी के तहत कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 193 भारतीय दण्ड संहिता झूठी साक्ष्य देने पर दण्ड का प्रावधान करती है किन्तु इसे शायद ही कभी लागू किया जाता है।"

(महत्व जोड़ें)

14. मृतका के आत्महत्या करने की कहानी शव-परीक्षा रिपोर्ट से झूठी सिद्ध होती है जिसमें मृतका के गले के चारों ओर क्षैतिज फांसी के निशान का उल्लेख है, जो आत्महत्या की स्थिति में सम्भव नहीं है और जो केवल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गला घोंटे जाने की स्थिति में ही सम्भव है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका की उसके वैवाहिक घर में गला घोंटकर हत्या की गई है। यद्यपि मृतका की पुत्री ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दर्ज अपने बयान से पलट गई है, यह बयान वीडियो में रिकार्ड किया गया था और इसलिए यह स्पष्ट है कि मृतका की पुत्री आवेदक के प्रभाव में शत्रुपक्षी हो गई है जो उसके पिता हैं और पी.डब्ल्यू.-2 के बयान के अनुसार वह लगातार अपनी पुत्री (पी.डब्ल्यू.-2) को जेल से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए कहते हैं।

15. पी.डब्ल्यू.-2 के बयान में गम्भीर विरोधाभास हैं, यहाँ तक कि आवेदक की सहायता करते समय भी, क्योंकि एक स्थान पर उसने कहा कि उसने मृतका को मारते हुए किसी को नहीं देखा जबकि दूसरे स्थान पर उसने कहा कि दो चोरों ने उसकी माँ को मारा। एक स्थान पर वह कहती अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि दोनों व्यक्तियों ने अपना मुँह ढका हुआ था और दूसरे स्थान पर वह कहती है कि उनका मुँह नहीं ढका था। यह कहानी कि चोरों ने कुछ गहने चुरा लिए, पंचनामे से असत्य सिद्ध होती है जिसमें शव पर गहनों की उपस्थिति का उल्लेख है।

16. इन परिस्थितियों में, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक जेल में बंद रहते हुए भी अभियोजन साक्षियों को प्रभावित कर रहा है। आवेदक पर अपने घर के भीतर गला घोटकर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही आत्महत्या की परिकल्पना, मृत शरीर के गले के चारों ओर क्षैतिज फांसी के निशान से समर्थित नहीं है और यह निशान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गला घोटें जाने का संकेत देता है। आवेदक मृतका का पति है, वह घटना के बाद फरार हो गया बताया जाता है और उसने पंचनामे की कार्यवाही में साक्षी नहीं की है। इसलिए, प्रकरण की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं इस सुविचारित मत का हूँ कि तथ्य के कारण आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

17. आवेदक का द्वितीय जमानत आवेदन *खारिज* किया जाता है।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना विचारण सम्पन्न करेगा।

(सुभाष विद्यार्थी, न्यायमूर्ति)

13 जनवरी, 2026

प्रदीप/-